



## भारत सरकार / खान मंत्रालय

## भारतीय खान ब्यूरो,

## क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

दुसरी मंजील, जी.एस.आई. फिल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय कॉम्प्लेक्स,  
पोस्ट- विधानसभा, रायपुर (छ.ग.) पिन-492005, फोन नं.-0771-2282530,2285590 / 95  
[ईमेल-ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:ro.raipur.ibm@gmail.com)

No. CHG/DRG/Fe-7/NGP

MINE CODE: 30MPR13001

Date: 03-12-2018

सेवा में,

श्री समीर स्वरूप (खान एजेंट)

दल्ली मैनुअल खान (100हे.)

मैसर्स सेल पीओ- दल्ली राजहरा, जिला: बलोड (छत्तीसगढ़)

पिन कोड: 491228

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के जिले में स्थित आपकी दल्ली मैनुअल लौह अयस्क खदान (100.00 हे०)  
में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी खान का निरीक्षण दिनांक 02/11/2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(4)	The period of mining plan for the lease last approved on 11/07/2016 will be expired on 31/3/2019 and review of mining plan has not been submitted to the competent authority at least one hundred and eighty days before the expiry of five years period for which it was approved on the last occasion, for mining operations for a period of five subsequent years.
Rule 26	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines before 1st day of July every year setting forth of Protective & rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2017-18.
Rule 27(2)	The difference of Financial assurance as required under rule 27(1) and Financial assurance already submitted by you, has not been submitted to the authorized officer in the form of a bank guarantee within 90 days from 28 February 2017.
Rule 35 (2)	The softcopy (in the standard format), of high-resolution satellite images obtained from CARTOSAT-2 Satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map has not been submitted.

2. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (2) के अंतर्गत

(क) खदान की सारी सक्रियाएं बन्द की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(आर. एन. मिश्र)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:- By email

1. खान नियंत्रक, (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

(आर.एन.मिश्र)

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर।